



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926

No. 324]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

का.आ. 427(अ).—केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2004 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के खण्ड I के उपखण्ड (2) में "1 अप्रैल, 2004" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2004" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 8-5/2004-पीपी-1]

श्रीमती अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र सं. का.आ. 1322(अ) दिनांक 18 नवम्बर, 2003 तथा सं. का.आ. 167(अ) दिनांक 6 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

S.O. 427(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine

(Regulation of Import into India) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) ( Second Amendment) Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 1 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, in sub-clause (2), for the figures, letters and words "1st day of April, 2004", the figures, letters and words "1st day of June, 2004" shall be substituted.

[No. 8-5/2004-PP-I]

SMT. ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

**Note :** The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India *vide* S.O. 1322(E), dated 18th November, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 167(E), dated 6th February, 2004.